संख्या:148/2016/644/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 22 अप्रैल,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज के नगर पंचायत समधन में मार्गों पर सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग टाइल्स/नाली निर्माण से संबंधित निम्नांकित कार्यों की उनके सामने इंगित लागत के अनुसार, जिसका कुल योग रू. 514.90 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) होता है, पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 257.45 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख पैंतालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:- ( लाख रू. में )

| | काये | लम्बाई कि.मी. | अनुमोदित लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मो0 गदोबाद से मसरूददीन के मकान से सिराज के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.250 | 12.87 | 6.43 |
| 2 | फरूखाबाद मार्ग ठाकुर द्वारा सीधा रिहुआ मार्ग पर रेलवे लाइन तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.340 | 18.41 | 9.20 |
| 3 | मो0 अशफाकउल्ला नगर में लखइयामऊ रोड से एजाद के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.700 | 37.58 | 18.79 |
| 4 | मो0 आजाद नगर समधन में साजिद उफे भल्लू के मकान से इरशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण | 0.100 | 20.76 | 10.38 |
| 5 | मो0 नेहरूनगर में इलियास के मकान से पप्पू उफे बी0पी0 के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.260 | 56.88 | 28.44 |
| 6 | मो0 गाँधीनगर में आशिक अली के मकान से शेरा के मकान तक सी0सी0 मार्ग का पुन: निर्माण व मो0 गर्दाबाद में नसीम के मकान से रामगुलाम के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.550 | 31.50 | 15.75 |
| 7 | मो0 आजादनगर में ईदगाह से शहनूर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.350 | 29.43 | 14.71 |
| 8 | मो0 इस्लामनगर (इस्माईलपुर) में फरीद के मकान से कदीर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य एवं अबरार के मकान से तालाब तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य | 0.200 | 26.43 | 13.21 |

http://shodhganga.inflibnet.ac.in

| | कार्य | लम्बाई कि.मी. | अनुमोदित लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 9 | मो0 सिकन्दर नगर (समधन) में जमील के मकान से शमीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली एवं कयामुददीन के मकान से सलामुददीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य | 0.040 | 2.78 | 1.39 |
| 10 | मो0 आजाद नगर में समीर के मकान से सिददीक मस्जिद तक एवं फुरकान के मकान से वकील मेम्बर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.150 | 13.65 | 6.83 |
| 11 | मो0 अल्लामाइकबाल नगर में इकरार के मकान से याकूब के मकान तक एवं महबूब शहनूर के मकान से हाजी हसन के मकान तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण कार्य | 0.260 | 13.34 | 6.67 |
| 12 | मो0 किदवई में हकीमुददीन के मकान से सौंरिखी होते हुये एफ0जी0 रोड तक एवं साहबजमा के मकान से बाबू के मकान तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण | 0.270 | 13.84 | 6.92 |
| 13 | मो0 कादर खाँ नगर में हसमत के मकान से प्रेम चन्द्र जाटव के मकान तक सी0सी0 मार्ग का पुन: निर्माण एवं मो0 नेहरू नगर में हाजी व सुहील के मकान से वसीम अयाज के मकान तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण | 0.160 | 8.25 | 4.13 |
| 14 | मो0 सिकन्दर नगर में अख्तर के मकान से बल्लन मौलाना के मकान तक सी0सी0 मार्ग का पुन: निर्माण एवं मो0 अल्लामा इकबाल नगर में तत्थू दर्जी के मकान से कमल्ले दर्जी के मकान तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण | 0.315 | 16.24 | 8.12 |
| 15 | मो0 गाँधीनगर में इकबाल के मकान से मोमीन हाजी के मकान तक एवं शाहगीर, शहनवाज के मकान से फर्रूखाबाद रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण | 0.025 | 2.27 | 1.14 |
| 16 | मो0 गोरी नबादा के पीरकाकू (बिल तालाब) से इस्तखार उर्फ करिया के मकान तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण | 0.090 | 4.64 | 2.32 |
| 17 | मो0 किदवई नगर में नईम दर्जी के मकान से इसरार के मकान तक बादल खॉ के मकान से छुटनना पच्चा के मकान तक एवं कैसर के मकान से हनीफ के मकान तक सी0सी0 मार्ग का पुन: निर्माण एवं रामस्वरूप वाल्मीकि के मकान से लालाराम वाल्मीकि के मकान तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण | 0.285 | 14.66 | 7.33 |

http://sharadnagar.up.nic.in

| | कार्य | लम्बाई कि.मी. | अनुमोदित लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 18 | मो0 लोहिया नगर में कन्हई स्कूल से रफीक फैक्टी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य एवं मो0 नेहरू नगर में बीती के मकान से नाले तक इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली का निर्माण कार्य | 0.255 | 21.77 | 10.88 |
| 19 | मो0 नेहरू नगर में महफूज के मकान से इस्लाम व शमीम के खेत तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य | 0.180 | 15.36 | 7.68 |
| 20 | मो0 आजाद नगर जहरूददीन व फुकरान के मकान से मुजीब के मकान तक इण्टरलाक सडक एवं अख्तर केसी के मकान से गुडडू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण | 0.165 | 14.08 | 7.04 |
| 21 | मो0 गोरी नबादा में मुहिम के मकान से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य | 0.175 | 14.93 | 7.47 |
| 22 | नगर पंचायत समधन में लखईयामउ रोड से सैफुददीन की कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य | 0.200 | 12.57 | 6.29 |
| 23 | मो0 लोहिया नगर (रिहुआ) में अनुज के मकान से लालपुर तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण कार्य | 0.300 | 17.18 | 8.59 |
| 24 | मो0 लोहियानगर में मुश्ताक चक्की से रिहुआ तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण | 0.360 | 20.72 | 10.36 |
| 25 | इस्माईलपुर में जी0टी0 रोड से तालाब के किनारे इण्टरलाक सडक का निर्माण कार्य | 0.360 | 74.76 | 37.38 |
| | **योग** | **6.34** | **514.90** | **257.45** |

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

4- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

5- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनाँक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये निम्नलिखित सूचनायें स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये:-

   अ- परियोजना प्रबन्धक का नाम/पदनाम

   ब- परियोजना प्रबन्धक का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी
   (परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)

http://lokayan.up.nic.in

स- परियोजना की अनुमानित/वास्तविक प्रारम्भ तिथि

द- परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि

6- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुये प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की संभावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियाँ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/ अनापतियाँ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। इसी आधार पर कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

7- लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

8- कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विभागीय सरकुलर एवं एम0ओ0आर0टी0एच0 की विशिष्टियों के आधार पर विश्लेषित दरों के अनुरूप कराया जायेगा।

9- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिए धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2017 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

14- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

15- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा । कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

16- कार्य स्थल पर इसे त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका / बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनॉक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। तदनुसार नियोजन विभाग की वेबसाइट (http://planning.up.nic.in/) पर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को अद्यावधिक किया जायेगा।

19- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

20- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

21- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

22- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अबरार अहमद )
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:148/2016/644(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।
14-अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0,प्रा0खण्ड,कन्नौज।

आज्ञा से,

( अबरार अहमद )
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in